**Seventeenth Loksabha**

>

Title: Regarding problems faced by Tea tribes in Assam.

**श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ । सर, सुबह उठ कर पहले हम चाय पीते हैं और चाय पी कर हमारे दिन की शुरुआत होती है । लेकिन चाय पिलाने वाले उन लोगों की हालत आज बहुत खराब हैं । टी इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब है । आज टी इंडस्ट्री में ऐसा है, हम बाहर से जो चाय खरीदने जाते हैं तो 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम लोगों को मिल जाती है । लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको आज चाय का रेट नहीं मिल रहा है । प्रोड्यूसर्स को चाय का रेट नहीं मिल रहा है, उसके कारण आज ऐसा हो रहा है, उसमें 50 लाख ऐसे वर्कर्स की फैमलीज़ हैं, जिनके अधिकार भी पूरे नहीं मिल रहे हैं । इसके लिए संसद ने दो एक्ट बनाए हैं । एक एक्ट, टी एक्ट है । दूसरा एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट है । टी एक्ट के मुताबिक पूरी चाय इंडस्ट्री को चलाया जाता है और प्लांटेशन लेबर एक्ट के मुताबिक जितने भी वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स को चलाया जाता है। लेकिन आज ऐसी हालत हो गई है कि टी इंडस्ट्री की जितनी भी बड़ी-बड़ी कंप्नीज़ हैं, वे बंद पड़ी हुई हैं और उनका प्रोफिट नहीं हो रहा है । साथ ही साथ वर्कर्स को भी मिनिमम वेजिस नहीं मिल रही हैं । ऐसा सिस्टम बनाया गया है, जिस सिस्टम के तहत आज आप अगर चाय बगान में जाएंगे, वहां आपको स्लेवरी दिखाई पड़ेगी । ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन ब्रिटिशर्स का सिस्टम टी गार्डन्स में रह गया है । बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि सभी राज्यों से लोगों को वहां बॉन्डेड लेबर्स की तरह से लिया गया था । लेकिन उनकी हालत आज बहुत ही खराब है । मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इस टी एक्ट और प्लांटेशन लेबर एक्ट को अमेंड करना चाहिए । इन दोनों एक्ट्स में अमेंडमेंट करने से टी-गार्डन के वर्कर्स और टी-इंडस्ट्री बचेगी । नहीं तो पश्चिम बंगाल और असम में लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या

उत्पन्न हो सकती है । इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ । ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय नए सदस्य बहुत अच्छा बोल रहे हैं और सदन में अच्छा लग रहा है ।

श्री महेश साहू ।